

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख), राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 15 (13) 2023-24 / गोप्र / प्रमुखसं /

दिनांक:

-:: कार्यालय-आदेश ::-

राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम, 2015 के प्राधानान्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 15.03.2024 की अभिशंषानुसार निम्नांकित वनपालों को वर्ष 2023-24 में उनके नामों के सम्मुख अंकितानुसार दिनांक में क्षेत्रीय वन अधिकारी- द्वितीय के रिक्त पद के विरुद्ध चयन किये जाने पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के पे-मैट्रिक्स के पे-लेवल एल-10 में वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

क्र.स.	नाम वनपाल (सर्व श्री / सुश्री / श्रीमती)	पिता / पति का नाम (सर्व श्री)	वर्ग	पदोन्नति प्रभावी होने की तिथि	विशेष विवरण
1.	पुनित शर्मा	हरीश चन्द्र शर्मा		01.04.2023	
2.	गोकल राम मीणा	कन्हैया लाल	एस.टी.	01.04.2023	
3.	चन्द्रकान्त शर्मा	जगदीश प्रसाद		01.04.2023	
4.	पवन कुमार मीणा	बाबू लाल	एस.टी.	01.04.2023	
5.	सत्यवीर सिंह मीणा	रामावतार मीणा	एस.टी.	01.04.2023	
6.	देवी लाल मीणा	कालू लाल	एस.टी.	01.04.2023	
7.	पदम किशोर खीमावत	आत्मा राम	एस.सी.	01.04.2023	
8.	चतरा राम चौधरी	रूपा राम		01.04.2023	
9.	रमेश चन्द रावल	हीरा जी		01.04.2023	
10.	राम स्वरूप बैरवा	राम चन्द	एस.सी.	01.04.2023	
11.	हरलाल सिंह	मोतीराम		01.04.2023	
12.	लाल चन्द मीणा	मनफूल राम	एस.टी.	01.04.2023	
13.	भगवती लाल मीणा	खेमा जी	एस.टी.	01.04.2023	
14.	गुलाब सिंह	गिरिराज सिंह	एस.सी.	01.04.2023	
15.	हमेन्द्र	जैना राम		01.04.2023	
16.	दीपक कुमार गौतम *	देव कृष्ण शर्मा		01.04.2023	
17.	रतन सिंह	जय सिंह		01.04.2023	
18.	जितेन्द्र सिंह शेखावत	शंकर सिंह		01.04.2023	
19.	राज कुमार सिंह	छाजू सिंह		01.04.2023	
20.	ममता बान्ता	शेर सिंह		01.04.2023	
21.	विक्रम सिंह	भूर सिंह		01.04.2023	
22.	लादू लाल शर्मा	सोहन लाल		01.04.2023	
23.	राहुल फौजदार	राजवीर		01.04.2023	
24.	मुकेश कुमार मून्ड	श्रवण कुमार		01.04.2023	
25.	रवि सिंह	बसन्त सिंह भाटी		01.04.2023	
26.	विवेन्द्र कुमार	ओम प्रकाश		01.04.2023	
27.	ओम प्रकाश धोबी	गणेश लाल धोबी	एस.सी.	01.04.2023	
28.	कुलदीप सिंह चौहान	मोहन सिंह		01.04.2023	
29.	योगेश कुमार	देवी लाल	एस.सी.	01.04.2023	
30.	अशकर अली	अल्लाबच्चाय		01.04.2023	
31.	बद्री लाल माली	रामस्वरूप		01.04.2023	



क्र.स.	नाम वनपाल (सर्व श्री/सुश्री/श्रीमती)	पिता /पति का नाम (सर्व श्री)	वर्ग	पदोन्नति प्रभावी होने की तिथि	विशेष विवरण
32.	चतुर्भुज जटिया	डूंगाराम जटिया	एस.सी.	01.04.2023	
33.	विमल रैगर	हीरा लाल रैगर	एस.सी.	01.06.2023	
34.	भोमाराम	आशूराम	एस.सी.	01.06.2023	कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 16.03.2023 के प्रभावी होने के कारण 03 वर्षों के लिए वार्षिक वेतन वृद्धि काल्पनिक रूप से देय होगी, परन्तु इन 03 काल्पनिक वेतन वृद्धियों के लिए कोई बकाया संदत्त नहीं किया जावेगा।
35.	भंवर लाल बारेट	राम स्वरूप	एस.सी.	01.07.2023	
36.	नेमी चन्द जाटव	तोता राम	एस.सी.	01.07.2023	
37.	रतन सिंह	ख्याली राम	एस.सी.	01.08.2023	
38.	हीरा राम	भूरा राम	एस.सी.	01.08.2023	
39.	सीता राम धोबी	सुन्दर लाल धोबी	एस.सी.	01.09.2023	
40.	राम प्रसाद खटीक	राम चन्द्र खटीक	एस.सी.	01.10.2023	
41.	हरका राम	प्रहलाद राम	एस.सी.	01.10.2023	
42.	राहुल सालवी	यशवन्त सालवी	एस.सी.	02.11.2023	
43.	प्रशान्त भट्ट	बंशी लाल	एस.सी.	16.12.2023	
44.	राजेश	इन्द्राज अठवाल	एस.सी.	01.01.2024	

* श्री दीपक कुमार गौतम ने अपना अचल सम्पत्ति विवरण कार्मिक विभाग में ऑनलाईन प्रस्तुत नहीं किया है। अतः अचल सम्पत्ति विवरण प्रस्तुत करने पर इनके पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे जिसके पश्चात उक्त लोकसेवक पदोन्नत पद पर कार्यग्रहण करेंगे।

उपरोक्त पदोन्नत लोकसेवकों के संबंध में संबंधित कार्यालयाध्यक्ष यह सुनिश्चित कर लें कि कार्मिक (क-ग्रुप-2) विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.7(1)कार्मिक/क-2/95/पार्ट जयपुर, दिनांक 16.03.2023 के अनुसार यदि किसी कार्मिक के 01.06.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतानें हो तो ऐसे कार्मिक तीन पश्चात्पूर्ती वर्षों के लिए वार्षिक वेतनवृद्धि हेतु, काल्पनिक रूप से हकदार होगा/होगी और ऐसे तीन वर्षों के पश्चात् उसे ऐसी वेतनवृद्धियों के वास्तविक फायदे अनुज्ञेय होंगे, तथापि, ऐसी काल्पनिक वेतनवृद्धियों के लिए कोई बकाया संदत्त नहीं किया जायेगा। अतः इनका वेतन निर्धारण उक्त अधिसूचना में प्रदत्त निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयनित लोकसेवक उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से पदोन्नत है। उपरोक्त कार्यरत लोकसेवक अपने वर्तमान पद पर यथावत कार्य करते रहेंगे तथा कार्य-ग्रहण की रिपोर्ट इस कार्यालय को भिजवायेंगे। पदोन्नति का वास्तविक नगद लाभ कार्यग्रहण करने की तिथि से देय होगा। उपरोक्त कार्यरत लोकसेवकों का पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किया जावेगा।

ED

(मुनीश कुमार गर्ग)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख),
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक/कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त/ट्री, राजस्थान, जयपुर।
2. परियोजना निदेशक, RFBP-2/RFBDP, राजस्थान, जयपुर।
3. अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक एन.टी.एफ.पी. /अरावली वृक्षारोपण परियोजना, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य विकास निगम लिमिटेड, जयपुर।
5. निदेशक, राजस्थान वानिकी एवं वन्यजीव प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर/मुख्य वन संरक्षक, विभागीय कार्य, जयपुर/निदेशक परिचालन राजस्थान वन विकास निगम लिमिटेड, जयपुर।
6. मुख्य वन संरक्षक, जयपुर/अजमेर/कोटा/उदयपुर/जोधपुर/बीकानेर/भरतपुर।
7. मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव), जयपुर/(वन्यजीव) जोधपुर/(वन्यजीव) उदयपुर।
8. मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, रणथम्भौर (सवाईमाधोपुर)/सरिस्का अलवर)/मुकन्दरा (कोटा)।
9. मुख्य वन संरक्षक, वनवर्धन, जयपुर/आर.वी.पी, कोटा/एफ.पी.आर.पी, जयपुर।
10. उप वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राज. जयपुर।
11. उप वन संरक्षक/वन बन्दोबस्त अधिकारी/कार्य आयोजना अधिकारी/ भू-संरक्षण अधिकारी।
- ✓ 12. उप वन संरक्षक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशन किये जाने हेतु।
13. संबंधित लोकसेवक.....।
14. रक्षित पत्रावली/कार्मिक स्ट्रेन्थ कार्यालय हाजा।

(बृज मोहन गुप्ता)
उप वन संरक्षक (अराजपत्रित)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
राजस्थान, जयपुर